भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 192
उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना

***192. सुश्री इकरा चौधरी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए जाने की दर अर्थात् विद्यालय शिक्षा के बाद उनका उच्च शिक्षा में नामांकन न होने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण भारत की महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नए संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

******

'ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री इकरा चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 05.08.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 192 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ) शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ अनुकूलित किया गया है। एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे को जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की समस्याओं को ध्यान में रखा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गांवों, छोटे शहरों जैसे भौगोलिक पहचान और आकांक्षी जिलों तथा अन्य वर्गों के छात्र शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य पहुँच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक वर्गों के अंतर को पाटना है।

मंत्रालय ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। पीएम-यूएसएचए के तहत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। फोकस जिलों की पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिनमें निम्न सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रवण जिले आदि के लिए नामांकन अनुपात शामिल हैं।

इसके अलावा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) भी एससी/एसटी/दिव्यांग पूर्व स्नातक छात्रों के लिए 100% ट्यूशन फीस माफ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से सबसे अधिक पिछड़े छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1.00 लाख रुपये से कम है) को शुल्क में पूरी छूट मिलती है और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य छात्रों को जिनकी पारिवारिक आय 1.00 से 5.00 लाख रुपये के बीच है, उन्हें फीस में दो तिहाई छूट मिलती है।
सरकार महिलाओं में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षा में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखा जा सकता हैं।

इसके अलावा, यूजीसी "भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिलाओं के अध्ययन के विकास" की योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र (डब्ल्यूएससी) स्थापित करने के लिए निधि उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसमें शिक्षण, शोध, पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण और आउटरीच गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षण, शोध और व्यावहारिक कार्य के माध्यम से महिला अध्ययन को आगे बढ़ाने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के बीच तालमेल बिठाते हुए, आईआईटी-मद्रास ने “विद्या शक्ति” नामक एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में एसटीईएम शाखाओं में नामांकन (महिलाओं सहित) बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के अवधारणात्मक और बुनियादी शिक्षण कौशल को बढ़ाना है।

उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2021-22 के अनुसार, एआईएसएचई के तहत पंजीकृत एचईआई अर्थात विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों, महाविद्यालय और स्टैंडअलोन संस्थानों की कुल संख्या वर्ष 2014-15 में 51,534 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 58,643 हो गई है। उच्चतर शिक्षा में कुल छात्र नामांकन वर्ष 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4.33 करोड़ हो गया है।

उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन वर्ष 2014-15 में 1.57 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया, अर्थात इसमें 32% की वृद्धि हुई है। महिला जीईआर वर्ष 2014-15 में 22.9 और वर्ष 2020-21 में 27.9 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 28.5 हो गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) में पूर्व स्नातक कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार लाने के उद्देश्य से अतिरिक्त सीटें सृजित की गईं, जिससे महिला नामांकन 10% से बढ़कर 20% से अधिक हो गया। एसटीईएम शिक्षा में महिलाओं की नामांकन हिस्सेदारी 43% है, जो विश्व में सबसे अधिक है।

*****